# FORM NO.III

## फर्द अहकाम
(नियम 26)

| रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>कानाराम बनाम सरकार<br>प्रकरण सख्या 71/2019 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| /2021 | विविध राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 71/2019 अनवान कानाराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 13 सी भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा न,306 रकबा 22.10 बीधा भूमि एव खसरा न, 278 रकबा 99.14 बीधा भूमि ग्राम पीपरली तहसील लूणी मे प्रार्थी का खातेदारी कृषि भूमि है। सिमे खसरा न, 306 की भूमि मे प्रार्थी के नाम कानाराम के जगह करनाराम दर्ज कर दिया तथा खसरा न, 278 की भूमि मे करनाराम पुत्र मागीलाल के स्थान पर कानाराम पुत्र मांगूराम दर्ज कर दिया । जिसे शुद्व किया जाकर दोनो खसरा की भूमि मे कानाराम पुत्र मागीलाल जाति धाची दर्ज किया जावे। इस पर तहसील लूणी से रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार लूणी धारा पत्रांक भू0अ0/2020/4346 दिनांक 11.02.2020 को पेश हुई जिसमे कृषि भूमि मे करनाराम पुत्र मागीलाल एव कानाराम पुत्र मांगूराम एक ही व्यक्ति होना बताया तथा अन्य दस्तावेज राशन कार्ड आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र बैक खाता मे भी कानाराम पुत्र मागीलाल दर्ज होना अकित किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के कथन एव तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कानाराम पुत्र मागुराम एव करनाराम पुत्र मागीलाल प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति नही है रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहि होता है। चूकि पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरो मे प्रार्थी का नाम जारिये नामान्तरकरण सख्या 227 गैर खातेदार दर्ज हुआ जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का रेकर्ड मे नाम भूमि आवटन/नियमन से दर्ज हुआ जिसमे दुरूस्ती किया जाना कतई उचित नही है।<br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी